आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –87/2021
धीरेन्द्र कुमार
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।*
20.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 590/2021 में दिनांक–27.09.2021 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 23.01.2020 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 27.09.2021 में अंकित है कि– **"Accordingly, the present writ petition disposed off, however, with liberty to the petitioner to file appropriate appeal before the Divisional Commissioner, Muzaffarpur and in case such an appeal/representation is filed within a period of four weeks from today, the same shall be disposed off by a reasoned and a speaking order, in accordance with law, within a period of eight weeks, thereafter."** वाद का सरांश है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2020 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सम्पन्न बैठक में रोस्टर बिन्दु 992 अनुसूचित जाति पंचायत–बसैठा के अंतर्गत श्री संजय कुमार, पिता–श्री हरेन्द्र राम, ग्राम–गोविन्दपुर, पो0–बसंतपुर पट्टी के चयन के विरूद्ध श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा यह वाद दायर है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	औपबंधिक मेधा सूची में श्री धीरेन्द्र कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य पाया गया एवं अन्य 4 आवेदक को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया। विपक्षी सं0–06 को आचरण संबंधी शपथ पत्र संलग्न नहीं करने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :– (i) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 23.01.2020 को कोटि क्रमांक 992 अनुसूचित जाति, पंचायत–बसैठा में श्री संजय कुमार के चयन के विरूद्ध दायर किया गया है। (ii) आवेदक द्वारा कोटि क्रमांक 992 अनुसूचित जाति पंचायत–बसैठा में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा पंचायत वार औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गयी। (iii) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 881 दिनांक 23.06.2018 द्वारा औपबंधिक मेधा सूची पर दिनांक 05.07.2018 तक दावा/आपत्ति की मांग की गयी। (iv) श्री राजीव कुमार द्वारा किये गये आपत्ति की जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरौल द्वारा की गयी। राजीव कुमार के दावा को अस्वीकृत करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरौल द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक–श्री धीरेन्द्र कुमार के नाम की अनुशंसा की गयी। (v) अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा आवेदक–श्री धीरेन्द्र कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य पाया गया। विपक्षी सं0–06 संजय कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि इनका चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। (vi) विज्ञापन में अंकित है कि आवेदन के साथ सभी कागजात दिनांक 15.01.2018 तक रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, दिनांक 15.01.2018 तक प्राप्त आवेदन के आधार पर आवेदक–श्री धीरेन्द्र कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य एवं प्रतिवादी सं0–06 श्री संजय कुमार को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया। (vii) अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के प्रतिवादी सं0–06 के संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य के प्रतिवेदन के बावजूद अवैध रूप से उनका चयन किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न	

WEBCOPY NOT OFFICIAL

न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) आवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। इनके द्वारा आवेदन के समय कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। इनके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र एवं कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र भी संलग्न है। व्यापार स्थल से संबंधित खतिहान/केवाला की छाया प्रति एवं अद्यतन लगान रसीद भी संलग्न है।

(2) विपक्षी सं0–06 श्री संजय कुमार की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इनके द्वारा आवेदन के समय कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। इनके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र भी संलग्न है। व्यापार स्थल से संबंधित खतिहान/केवाला की छाया प्रति एवं अद्यतन लगान रसीद भी संलग्न है।

इससे स्पष्ट होता है कि धीरेन्द्र कुमार एवं संजय कुमार दोनो कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र धारित करते है। जहाँ संजय कुमार की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, वहीं धीरेन्द्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता मात्र इंटरमीडिएट है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9 (v) में अंकित है कि *उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमे भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।*

इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा इस संबंध में दिनांक 23.01.2020 को लिया गया निर्णय सही एवं उचित प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्री धीरेन्द्र कुमार के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL